उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9
संख्या- 790/नौ-9-2025-07ज/2024
लखनऊ: दिनांक:06 मई, 2025

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 550 के साथ पठित धारा 114 के खण्ड (9-क), धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 124 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली, 2025 को बनाने का प्रस्ताव करते हैं वह अधिसूचना संख्या-1620/नौ-9-2024-07ज/2024, दिनांक-12 सितम्बर, 2024 द्वारा, पूर्वोक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के दिनांक को या उसके पूर्व, उससे प्रभावित होने वाले समस्त सम्भावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, नियत अविध के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावो का निस्तारण शासनादेश संख्या-195/ नौ-9-2025-07ज/2024, दिनांक-07.02.2025 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 550 के साथ पठित धारा 114 के खण्ड (9-क), धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 124 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली, 2025 कही जायेगी। (2) यह उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नगर निगम पर लागू होगी। (3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	**2.** (1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) से है; (ख) "कार बाजार" का तात्पर्य, समनुषंगिक दुकानों सहित/रहित, प्रयुक्त कारों के क्रय-विक्रय हेतु किसी बाजार स्थल से है; (ग) "कार स्पा/सैलून" का तात्पर्य, समनुषंगिक दुकानों सहित/रहित, ऐसे स्थान या प्रसुविधा से है जहां कारों की धुलाई की जाती है और उनकी मूल चमक पुनः वापस लाई जाती है; (घ) "समतुल्य कार स्थान" जिसे आगे "ई.सी.एस." कहा गया है, का तात्पर्य किसी कार के सन्दर्भ में किसी यान की पार्किंग के लिए अपेक्षित ऐकिक स्थान से है; (ड़) "शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार" का तात्पर्य, यान की पार्किंग हेतु प्रयोक्ता से संगृहीत प्रभार से है; (च) "परिनिर्धारित क्षति" का तात्पर्य, एक निश्चित धनराशि या धनराशि की गणना के लिए नियत सूत्र से है, जो किसी पक्षकार द्वारा देय होगा यदि वह संविदा भंग करता है ताकि क्षतिग्रस्त

		पक्षकार को हुई हानि के लिए प्रतिकर दिया जा सके;
	(छ)	"यांत्रिक पार्किंग" का तात्पर्य किसी उत्थापक युक्ति के माध्यम से ऊर्ध्वाधर रूप से क्रमबद्ध बहुस्तरीय यान पार्किंग उपलब्ध कराने हेतु किसी यांत्रिक प्रणाली से है;
	(ज)	"बहुस्तरीय पार्किंग" का तात्पर्य किसी ऊर्ध्वाधर पार्किंग स्थान से है जिसमें यानों के पार्क के लिए बहुतल हों, जैसे-ढलान आधारित पार्किंग, यांत्रिक पार्किंग आदि;
	(झ)	"मार्गेत्तर पार्किंग" का तात्पर्य मार्ग को छोड़कर किसी भी स्थल पर यान को पार्क करने से है। मार्गेत्तर पार्किंग स्थान विभिन्न प्रकार के होते हैं-खुला/धरातल, अधोतल, बहुस्तरीय पार्किंग और/या इनका समुच्चय;
	(ञ)	"मार्ग पर पार्किंग" का तात्पर्य सार्वजनिक सड़क या मार्ग के किनारे यानों को पार्क करने से है;
	(ट)	"खुली/धरातलीय पार्किंग" का तात्पर्य ऐसे पार्किंग स्थलों से है जो किसी भवन से आच्छादित न हों और केवल भूतल पर ही उपलब्ध हों;
	(ठ)	"प्रचालक" का तात्पर्य पार्किंग स्थान के रख-रखाव, प्रबन्धन और शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार की वसूली के लिये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किसी अभिकरण से है;
	(ड)	"पार्किंग स्थान" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकृत और चिन्हांकित भूखण्ड या भवन या संरचना या स्थल से है, जहां यान पार्क किये जा सकते हैं, जिसमें बहुस्तरीय पार्किंग जैसे यांत्रिक पार्किंग इत्यादि सम्मिलित हैं;
	(ढ)	"पार्किंग प्रबन्ध क्षेत्र योजना" का तात्पर्य स्थानीय हितधारकों, योजना निकायों/विभागों और परिवहन योजनाकारों तथा नगरीय रूपकारों/योजनाकारों के किसी टीम के परामर्श से नगर निगम द्वारा तैयार की गयी परिक्षेत्रीय/क्षेत्र स्तरीय योजना से है जिसमें आवश्यक मार्ग सुख-सुविधाओं के साथ सभी प्रणाली के लिए सभी प्रकार के पार्किंग स्थलों का चिन्हांकन सम्मिलित है। इसमें सहबद्ध यातायात और पैदल/गैर मोटरचालित यातायात परिसंचरण योजनाएं, पहचान सूचक योजनाएं और मूल्य निर्धारण रणनीति इत्यादि के साथ मार्ग पर पार्किंग, मार्गेत्तर पार्किंग और बहुस्तरीय पार्किंग की सुविधाएँ, पथ विक्रय परिक्षेत्र, बहुरूपात्मक एकीकरण सुविधाएँ, हरित खुला स्थान भी सम्मिलित होगा।
	(ण)	"यान" का तात्पर्य मार्ग पर उपयोग किये जाने में समर्थ किसी पहियेदार गाड़ी से है, और इसमें बाइसिकिल, तिपहिया या उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) में यथा परिभाषित मोटर यान सम्मिलित हैं;
	(2)	इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।
प्रतिषेध	**3.**(1)	कोई भी व्यक्ति, इस नियमावली के अनुसार निश्चित और अनुज्ञात पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त किसी भी स्थल पर यान पार्क नहीं करेगा और न करवायेगा। व्यक्तिगत स्थल के मामले में, नगर निगम के पक्ष में लाइसेंस शुल्क के संदाय के साथ वाणिज्यिक पार्किंग की अनुमति दी जा सकेगी।
	(2)	पार्किंग स्थल पर यान चलाने वाला या पार्किंग करने वाला कोई व्यक्ति पार्किंग स्थल पर प्रदर्शित चिन्हों और अनुदेशों का पालन करेगा और उसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों का अनुसरण करेगा।

पार्किंग प्रबन्ध समिति का गठन और संरचना

4. प्रत्येक नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति, जिसे पार्किंग प्रबन्ध समिति के नाम से जाना जायेगा, गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(एक)	सचिव, विकास प्राधिकरण (यदि कोई हो)	सदस्य
(दो)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त	सदस्य
(तीन)	एक अधिकारी जो यातायात पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त या अपर पुलिस आयुक्त (यातायात) से अनिम्न रैंक का हो	सदस्य
(चार)	संबंधित नगर निगम का अपर जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
(पांच)	संबंधित नगर निगम के लोक निर्माण विभाग का ज्येष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(छह)	संबंधित नगर निगम के उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन का ज्येष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(सात)	संबंधित नगर निगम के परिवहन विभाग का ज्येष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(आठ)	नगर और ग्राम नियोजन विभाग का सहायक नगर नियोजक से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, यदि कोई है, नगर नियोजन शाखा/विकास प्राधिकरण विभाग का कोई अधिकारी, जो नगर नियोजक से अनिम्न रैंक का हो, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट	सदस्य
(नौ)	नगर निगम का लेखाधिकारी	सदस्य
(दस)	संबंधित नगर निगम के समस्त जोनल अधिकारी	सदस्य
(ग्यारह)	नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता से भिन्न किसी अधिकारी को, जो सहायक अभियन्ता (सिविल/यातायात/पर्यावरण) से अनिम्न रैंक का हो, चुन सकता है	सदस्य सचिव
(बारह)	परिवहन क्षेत्र में प्रतिष्ठित संगठन/संस्था से एक विशेषज्ञ	सदस्य

समिति के कृत्य

5. पार्किंग प्रबन्ध समिति के कृत्य होंगे :-

(एक) ई.सी.एस. की संख्या सहित नगर में समस्त सार्वजनिक और/या निजी मार्ग पर पार्किंग या मार्गेत्तर पार्किंग स्थान का सर्वेक्षण, पहचान और अन्तिम रूप देना जो वे परिक्षेत्रवार प्रदान कर सकते हैं। यहां सर्वाधिक सम्भव ई.सी.एस. की गणना, स्थानीय भवन उपविधि, परिचालन और सेवा क्षेत्र सहित, के अनुसार की जायेगी।

(दो) पार्किंग स्थान के आवंटन और निस्तारण की प्रक्रिया की देखभाल और अनुश्रवण करना और पार्किंग शुल्क की दरों की संस्तुति करना।

(तीन) पार्किंग स्थान संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

(चार) पार्किंग स्थान के प्रबन्ध का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना और समय-समय पर नगर निगम को सुधार के लिए सुझाव देना।

(पांच) मामले के संबंध में जैसा वह उचित समझे, लोकहित में किसी अन्य कृत्य को निष्पादित करना।

(छः) पार्किंग स्थान और उनकी दक्षता और सुविधाओं में वृद्धि के मामले में ऐसा सलाह देना

	जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसा करने के लिए अपेक्षा किया जाय या नगर निगम द्वारा अनुरोध किया जाय। (सात) प्रकरण के संबंध में सुविधाओं के विकास, प्रबन्ध, अनुरक्षण और परिवृद्धि सहित यानों की पार्किंग और पार्किंग स्थान क्षेत्र में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना। (आठ) समिति अपने कृत्यों के सम्यक निष्पादन के लिए छः मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
पार्किंग स्थलों की व्यवस्था	6. नगरों में विभिन्न स्थलों पर यथा अपेक्षित पार्किंग स्थलों की व्यवस्था नगर निगम द्वारा निम्नलिखित रीति से की जा सकेगी :- (क) विद्यमान पार्किंग स्थलो की क्षमता विकास एवं समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। (ख) बहुस्तरीय पार्किंग स्थान का निर्माण, उनकी संख्या और यथा अपेक्षित तलों की ऊँचाई में वृद्धि की जायेगी। (ग) यांत्रिक पार्किंग प्रणाली की अधिमानी बहुस्तरीय पार्किंग प्रणाली विशेषतः नगर के सघन और पुराने क्षेत्रों में प्रोत्साहित की जायेगी। (घ) पार्किंग स्थल पर पार्किंग जगह के ई.सी.एस. के न्यूनतम 20 प्रतिशत का उपबंध विद्‌युत यानों की चार्जिंग के लिए सुनिश्चित किया जायेगा। (ड़) विशेष परिस्थितियों में पार्किंग प्रबन्ध समिति द्वारा नगर आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् परिलक्षित और सिफारिश की गयी न्यूनतम बारह मीटर या अधिक चौड़ी सड़कों और गलियों पर पंक्तिबद्ध पार्किंग की अनुमति दी जा सकेगी। (च) निःशक्त व्यक्तियों के लिए पार्किंग जगह, उनके लिए आरक्षित प्रवेश द्वार से पहले कुछ पार्किंग के साथ मार्गेत्तर पार्किंग में उपबंध किया जायेगा। (छ) पार्कों के नीचे भूमिगत पार्किंग स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि पार्कों में भूतल पर लगभग 95 प्रतिशत भाग में हरितक्षेत्र हो और उनका विकास और अनुरक्षण विद्यमान भवन उपविधियों के अनुसार सुनिश्चित हो। (ज) पार्किंग स्थलों के लिए वैकल्पिक स्पाटों जैसा कि फ्लाईओवर के नीचे, जहाँ कहीं भी उपयुक्त हो हरितपट्टिका के साथ, बाजारों और मेलों के लिए स्थल, खुले सार्वजनिक जगहों और ऐसे ही अन्य स्थलों पर जब कभी उनका उपयोग उपर्युक्त प्रयोजनों में न हो रहा हो तो नियत अवधि में पार्किंग व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है (झ) व्यावसायिक और मिश्रित भू-प्रयोग के लिए पार्किंग मानकों का पुनर्विलोकन और उपयुक्त गलियों में प्राधिकृत पार्किंग का उपबंध करने पर विचार किया जा सकेगा। (ञ) समस्त सार्वजनिक, व्यावसायिक और संस्थागत भवनों में समुचित पार्किंग स्थानों को सुनिश्चित किया जायेगा। (ट) नगर निगम द्वारा चार पहिया वाहनों के लिए सार्वजनिक सड़कों और स्थलों पर रात्रिकालीन पार्किंग की अनुमति दी जा सकेगी। शुल्क, समय, अनुज्ञा प्राप्त स्थलों, अनुज्ञा न प्राप्त करने पर शास्ति की धनराशि आदि की संस्तुति पार्किंग प्रबन्ध समिति द्वारा की जायेगी और नगर निगम की कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्यक अनुमोदित की जायेगी। (ठ) नगर निगम जहां भी वह लोकहित में उचित समझे, खुली बोली के माध्यम से अधिनियम की धारा 137-क के उपबन्धों के अनुसार पार्किंग स्थान को विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी रीति के अधीन निजी क्षेत्र में प्रतिभाग करने के लिए करार कर सकता है।

	(ड) जब कभी विकास प्राधिकरण, विकासकर्ताओं या किसी प्रकार की संस्थाओं द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कोई विकास योजना बनायी जाये अथवा अभिन्यास तैयार या स्वीकृत किये जाये अथवा इसी प्रकार के कोई कार्य किये जाये तो यथोचित पार्किंग सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। वैधानिक कार पार्किंग के लिए उपबंधों को भवन उपविधियों में सम्मिलित किया जाना चाहिये। (ढ) लोक परिवहन की मुख्य बुनियादी बातों पर "पार्क एण्ड राइड" की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। (ण) नगर निगम द्वारा निर्मित और प्रचालित पार्किंग व्यवस्थाओं पर दबाव कम करने के लिए पार्किंग व्यवस्था के निजीकरण पर भी विचार किया जायेगा तथा उसे विनियमित किया जायेगा। (त) सामूहिक परिवहन और मेट्रो आदि की सुविधायें उपलब्ध कराकर और निजी यानों के उपयोग को हतोत्साहित कर पार्किंग की मांग में कमी लाई जा सकेगी। (थ) सार्वजनिक पार्किंग के लिए नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल्स/स्टैण्ड्स, कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, कारखानों, अस्पतालों, व्यावसायिक भवनों और नगर के अन्य अनावासीय भवनों और स्थानों के समीप अन्य सार्वजनिक और निजी स्थापन द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। (द) क्लोज सर्किट टेलीवीजन निगरानी कैमरे, डिजिटल साइनेज, बूम बैरियर, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट, हैण्ड हेल्ड युक्ति, फास्टैग और अन्य भुगतान गेटवे के साथ एकीकरण, स्वचालित टिकट डिस्पेंसर, मोबाइल एप्लीकेशन, एनालिटिक्स के साथ पार्किंग सेंसर/कैमरा, एकीकृत नियंत्रण और कमान केन्द्र (आई.सी.सी.सी.)/इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस)/सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) नियंत्रण आदि के साथ एकीकरण के उपबंधों के साथ पार्किंग कार्ड युक्त स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, नये पार्किंग स्थान और विद्यमान पार्किंग स्थान, जो प्रचालन और प्रबन्ध के लिए निविदागत हैं, के लिए अनिवार्य होगा। यह पार्किंग स्थान का संचालन और अनुरक्षण का देखभाल करने वाले अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। शहर/जोन की पार्किंग के लिए तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0)/प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) हित की अभिव्यक्ति (ई0ओ0आई0) में इन उपबंधों को रखा जायेगा। (ध) नगर आयुक्त फास्टैग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के प्रोत्साहन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई.) के साथ करार का ज्ञापन (एम.ओ.यू.) कर सकेगा। (न) विद्यमान भवन उपविधि के अनुसार केवल उपलब्ध बहुस्तरीय कार पार्किंग क्षेत्र में कार स्पा/सैलून या कार बाजार अपेक्षित अवसंरचना के साथ आ सकता है। इन्हें खुली/धरातलीय पार्किंग स्थान में अनुमति नहीं दी जायेगी। (प) सार्वजनिक पार्किंग के लिए वाणिज्यिक प्रयोजन से अपनी भूमि/परिसर उपलब्ध कराने के लिए निजी भूमि/परिसर स्वामी पर लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया जायेगा। लाइसेंस शुल्क के लिए दर-मानदण्ड समय-समय पर पार्किंग प्रबन्ध समिति की सिफारिश पर कार्यकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे। (फ) जब तक कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से नगर आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से कोई छूट नहीं दी जाती, औद्योगिक क्षेत्रों, विकास प्राधिकरण क्षेत्रों, आवास विकास परिषद क्षेत्रों

	आदि में और नगरीय सीमाओं के भीतर लोक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों पर पार्किंग इस नियमावली द्वारा शासित होगी। वाणिज्यिक प्रयोजन से सार्वजनिक पार्किंग के लिए अपनी भूमि परिसर उपलब्ध कराने के लिए इन विभागों/संगठनों पर लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया जायेगा। (ब) पार्किंग साइट के भीतर प्रसाधन, पेयजल आपूर्ति आदि के रूप में नागरिक सुख-सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।
सीमा का सीमांकन	7.(1) पार्किंग प्रबन्ध समिति, नगर पालिका की सीमा के भीतर ई.सी.एस. की संख्या सहित समस्त सार्वजनिक और निजी मार्ग पर और मार्गेत्तर-पार्किंग स्थान का सर्वेक्षण करेगी, उनकी पहचान करेगी और उन्हें अन्तिम रूप देगी और सर्वेक्षण की अपेक्षानुसार परिक्षेत्रवार/क्षेत्रवार/दो पहिया हेतु आरक्षित, स्थल के निश्चित भाग सहित पार्किंग प्रबंध क्षेत्र योजना तैयार करेगी। (2) प्रत्येक पार्किंग स्थान की सीमा का सीमांकन किया जायेगा और सीमा चिह्न उपदर्शित किये जायेंगे। (3) उपनियम (2) में अनुबद्ध सीमा के बाहर पार्किंग, पार्किंग प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुरूप जुर्माने के अध्यधीन होगी। (4) अन्तिम रूप से चयनित पार्किंग स्थानों की सूची, नगर निगम की वेबसाइट/पोर्टल पर उसके विवरण जैसे अक्षांश-देशांतर मान, उपलब्ध ई.सी.एस. की संख्या आदि के साथ प्रकाशित की जायेगी। (5) पार्किंग प्रबन्ध समिति के लिए इस नियमावली के गजट अधिसूचना में प्रकाशित किये जाने के 90 दिवस के भीतर अंतिम रूप से चयनित किये गये पार्किंग स्थलों की मास्टर सूची प्रकाशित करना अनिवार्य है। यदि अपेक्षित हो तो वह बाद में सूची को संशोधित कर सकती है।
पार्किंग स्थानों का प्रचालन एवं अनुरक्षण	8.(1) नगर निगम द्वारा विकसित पार्किंग स्थान का समुचित अनुरक्षण नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सुनिश्चित करेगा। (2) पार्किंग स्थानों के अनुरक्षण, प्रचालन, प्रबन्ध, विनियमन और उसके लिए प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क की निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से वसूली कराने की शक्ति नगर आयुक्त को होगी :- (एक) सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता करार द्वारा, (दो) सार्वजनिक नीलामी/ई नीलामी द्वारा (तीन) निविदा आमंत्रित कर/ई निविदा द्वारा (चार) नगर निगम के निजी स्रोतों द्वारा (आपात स्थिति में मात्र 6 मास से अनधिक अवधि के लिए)। (3) उपनियम (2) में उल्लिखित किसी भी रीति के लिए निबन्धन और शर्तों का अवधारण नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र-1 में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। (4) अन्य विवरण निबन्धन और शर्तों, निर्बंधनों, सूचनाओं, प्रतिभूतियों, प्रक्रियाओं एवं अन्य अपेक्षित निदेशों का अवधारण नगर निगम द्वारा किया जा सकेगा। (5) पार्किंग प्रबन्ध समिति की सिफारिश पर नगर निगम के अनुमोदन से किसी सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) क्रियाकलाप सहित किसी विज्ञापन और क्रियाकलाप की अनुमति प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पार्किंग स्थानों की सीमा में दी जा सकेगी। विज्ञापन से प्राप्त होने वाली आय पार्किंग स्थल हेतु आरक्षित मूल्य/राजस्व हिस्सेदारी, जो अधिक हो, में सम्मिलित की जायेगी।

दरों का अवधारण	**9.**(1) यानों की पार्किंग के लिए प्रभार की दरें पार्किंग प्रबन्ध समिति की सिफारिश पर नगर निगम द्वारा अवधारित की जायेगी। जब तक नगर निगम दरें अनुमोदित नहीं करता, नगर आयुक्त पार्किंग प्रबन्ध समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों को कार्यान्वित करेगा।

(2) नगर के विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण करने के पश्चात, पृथक श्रेणी में पार्किंग के प्रभार की श्रेणीवार पृथक दरें, पीक आवर, नॉन पीक आवर, वीकडेज, वीकेन्ड, क्षेत्र की सघनता और वाणिज्यिक क्रियाकलाप आदि को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग प्रबन्ध समिति द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

(3) पार्किंग स्थानों पर पार्किंग प्रभार की दरें निम्नलिखित दरों से कम नहीं होंगी -

नगर निगम	दो घण्टे के लिए (रूपये में)		क्रमवार एक घण्टे के लिए (रूपये में)		24 घण्टे (रूपये में)		मासिक पास (रूपये में)	
	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया
10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले	15	30	7	15	57	120	855	1800
10 लाख से कम जनसंख्या वाले	10	20	5	10	40	80	600	1200

(4) पार्किंग प्रबंधन समिति, पार्किंग की व्यवस्था हेतु स्थानीय निवासियों एवं दुकानदारों के व्यक्तिगत उपयोग हेतु निर्धारित प्रभार के भुगतान पर वार्षिक आधार पर अनुमति हेतु सिफारिश कर सकेगी।

(5) पार्किंग प्रभार की दरें प्रपत्र-2 में किसी सहजदृश्य स्थान पर न्यूनतम 1 मीटर X 0.75 मीटर के बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पार्किंग शुल्क दर बोर्ड को किसी कागज, रंग या अन्यथा विरूपित न किया जाये।

(7) यान पार्किंग के लिए प्रभार की दरें जैसा कि नियम-9 के उपनियम (3) में दी गयी हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित की जायेंगी।

पार्किंग स्थानों के लिए लाइसेंस	**10.**(1) नियम-8 के उपनियम (2) के अधीन पारदर्शी रीति से प्रचालकों को पार्किंग स्थानों के लाइसेंस प्रदान किये जाने पर विभिन्न पद्धतियो के संबंध में सिफारिशें देने के लिए नगर आयुक्त एक नीलामी/निविदा समिति गठित करेगा।

(2) नीलामी/निविदा समिति में निम्नलिखित होंगे :-

क्र0सं0	अधिकारी	पदनाम
1	अपर नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2	निगम का मुख्य अभियन्ता	सदस्य
3	सहायक नगर आयुक्त से अनिम्न रैंक का एक अधिकारी, जो पार्किंग प्रभारी हो	सदस्य सचिव
4	नगर निगम के वित्त विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
5	नगर निगम के राजस्व सेवा का ज्येष्ठतम अधिकारी	सदस्य

	(क) नगर आयुक्त के पूर्वानुमोदन से अध्यक्ष द्वारा एक बाह्य सदस्य, यदि अपेक्षित हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। (ख) नीलामी/निविदा समिति पार्किंग के लिए (एक) सार्वजनिक और या नगर निगम की भूमि/परिसर पर और (दो) निजी भूमि/परिसर पर कार्य करेगी। (ग) आवेदकों की तकनीकी पात्रता और वित्तीय पात्रता दोनों सुनिश्चित करने के लिए नीलामी/निविदा समिति पूर्व-पात्रता मानदंड तय करेगी। (3) नीलामी/निविदा की निबंधन और शर्तें समिति द्वारा तैयार की जायेंगी और नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जायेंगी। निविदा या तो सम्पूर्ण नगर के लिए या कम से कम एक जोन के लिए जारी की जा सकेगी। जोनवार जारी की गयी निविदाओं के मामले में पार्किंग जोन की कुल संख्या नगर निगम में जोनों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के आधार पर किया जा सकता है, जहां भूमि नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और समस्त भौतिक अवसंरचना, साफ्टवेयर, और लोक सेवाओं सहित प्रचालन और अनुरक्षण चयनित प्रचालक द्वारा किया जाएगा। (4) ई.सी.एस. और दरों के आधार पर नीलामी/निविदा समिति, बोली के न्यूनतम आरक्षित मूल्य को नियत करेगी। आरक्षित मूल्य को नियत करने हेतु नगर आयुक्त प्रतिष्ठित विनिधान, अभिकरणों और विशेषज्ञों की राय ले सकता है। नीलामी/निविदा समिति, सम्पूर्ण अनुबन्ध अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का वार्षिक दर 5 प्रतिशत से अन्यून दर पर अन्तिम और विहित भी करेगी जो निविदा अभिलेख का भाग बनेगा। आरक्षित मूल्य और लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का वार्षिक दर दोनों को नगर निगम की कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जायेगा। (5) राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर सफल बोलीकर्ता को उस पार्किंग स्थान की लाइसेंस देने पर विचार करने हेतु समिति द्वारा नगर आयुक्त को सिफारिश की जायेगी। सफल बोलीकर्ता द्वारा (क) आरक्षित मूल्य अथवा (ख) राजस्व हिस्सेदारी में से जो अधिकतम हो, को संदत्त करना होगा। उदाहरण-एक नगर निगम द्वारा शहर के भीतर राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर पार्किंग स्थान की निविदा के लिए आरक्षित मूल्य के रूप में 10 करोड़ रूपये नियत किया गया। सफल बोलीकर्ता ने निगम को 45 प्रतिशत के राजस्व हिस्से के साथ 24 करोड़ मूल्य उद्धत किया है, जो गणना करने पर 10.8 करोड़ बनता है। इसलिए इस मामले में उसे 10 करोड़ रूपये के आरक्षित मूल्य के बजाय निगम को 1[illegible] करोड़ रूपये का संदाय करना होगा। (6) चयनित प्रचालक के साथ विधि के प्रचलित उपबंधों के अनुसार न्यूनतम [illegible] वर्ष का करार निष्पादित किया जायेगा। पारस्परिक सहमति से 3 अतिरिक्त वर्षों तक इसे बढ़ाया जा सकेगा। करार की समाप्ति पर नयी निविदा जारी की जायेगी। (7) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अवधारित निबन्धनों और शर्तों के अधीन नगर निगम सीमा में सार्वजनिक पार्किंग के प्रबन्ध, प्रचालन एवं अनुरक्षण और पार्किंग प्रभार की वसूली हेतु लाइसेंस उपनियम (1) के अधीन गठित नीलामी/निविदा समिति की सिफारिश पर दिया जायेगा। (8) प्रदान किया गया लाइसेंस अन्तरणीय नहीं होगा और न ही उपकिरायेदारी की जा सकेगी।

(9) ऐसी अवधि जिसके लिए लाइसेंस दिया गया था, की समाप्ति के पश्चात लाइसेंसधारी वहां पर किसी भी प्रकार की पार्किंग का प्रचालन नहीं करेगा।

(10) यान पंक्तिबद्ध खड़े किये जायेंगे ताकि अन्य यानों को पार्किंग स्थल से बाहर निकालने में असुविधा न हो।

(11) समुचित अनुरक्षण और प्रबन्ध लाइसेंसधारी द्वारा किया जायेगा।

(12) पार्किंग स्थल के भीतर परिसर की सफाई और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा।

(13) पार्किंग स्थल पर हुई किसी प्रकार की टूट-फूट या क्षति का प्रतिकर प्रचालक द्वारा किया जायेगा।

(14) नगर आयुक्त के पास पार्किंग जगह को पार्किंग या अन्य किसी उपयोग के लिए एक वर्ष में सामान्यतः 5 पृथक या निरन्तर दिनों के लिए मुक्त रखने का अधिकार होगा।

(15) नगर आयुक्त के पास जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निदेश/अनुमोदन से आकस्मिक परिस्थितियों जैसे अप्रत्याशित घटना के मामले में पार्किंग जगह को पार्किंग से मुक्त रखने का अधिकार होगा।

(16) लोकहित में, या निविदा करार या नियमों के निबंधन और शर्तों का अतिक्रमण, शर्तों के उल्लंघन या प्रवृत्त किसी विधि का अतिक्रमण या तत्समय किसी निषिद्ध गतिविधि की दशा में नगर आयुक्त के पास लाइसेंस धारक को स्पष्टीकरण प्राप्त करने अथवा किसी दोष के सुधार अथवा उनमें विनिर्दिष्ट अतिक्रमण हेतु 30 दिवसों का कारण बताओ नोटिस जारी करने के अध्यधीन लाइसेंस निलम्बित अथवा रद्द करने का अधिकार होगा। नगर आयुक्त को लाइसेंस धारक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा। उत्तर/सुधारात्मक कार्रवाई से नगर आयुक्त के संतुष्ट न होने की दशा में लाइसेंस धारक परिसर खाली करने और नगर निगम से संबंधित सभी परिसम्पत्तियों, अभिलेखों और किसी भी अन्य सम्पत्ति को तत्काल अभ्यर्पित/हस्तगत करने को बाध्य होगा।

(17) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से विद्यमान कोई संविदा उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार उसकी समाप्ति तक जारी रहेगी। समाप्त संविदा का विस्तारण नहीं किया जायेगा। विद्यमान संविदा की समाप्ति के पश्चात निष्पादित कोई नई संविदा इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार शासित होंगी।

(18) संविदा अवधि के दौरान सृजित परिसम्पत्तियां नगर निगम की सम्पत्ति समझी जायेगी। संविदा की समाप्ति पर प्रचालन पार्किंग सुविधा हेतु सृजित समस्त परिसम्पत्तियां नगर निगम को निर्मूल्य और कार्यशील स्थिति में हस्तगत करेगा।

(19) लाइसेंस धारक द्वारा संविदा का समय पूर्व समापन करने की दशा में प्रतिभूति जमा तत्काल जब्त कर ली जायेगी। इसके आलावा लाइसेंस धारक इस संबंध में नगर आयुक्त को 30 दिवसों की नोटिस देगा, जिस अवधि में लाइसेंस धारक आबंटित पार्किंग स्थल का संचालन जारी रखेगा।

पार्किंग स्थल हटाने की शक्ति	**11.** यदि कोई व्यक्ति, संस्था, अभिकरण, भागीदार या प्रचालक इस नियमावली के उपबंधों का उल्लघंन कर पार्किंग कृत्य प्रचालित करता है तो नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी पार्किंग का कार्य बन्द करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्रवाई, जिसे वह उचित समझे, कर सकता है।
पार्किंग हेतु प्रतिषिद्ध/ अनन्य क्षेत्र की घोषणा	**12.**(1) नगर आयुक्त या राज्य सरकार किसी क्षेत्र या वार्ड या सड़क को पार्किंग स्थानों के निर्माण, विकास अथवा प्रचालन के लिए प्रतिषिद्ध 'नो पार्किंग जोन' के रूप में घोषित कर सकेगी। (2) नगर आयुक्त या राज्य सरकार नगर सीमा के भीतर किसी क्षेत्र या वार्ड या सड़क को निर्माण, विकास या विक्रय परिक्षेत्र के प्रचालन के लिए प्रतिषिद्ध घोषित कर सकता है ताकि वहां सार्वजनिक पार्किंग विकसित की जा सके।
अनधिकृत पार्किंग के विरुद्ध कार्रवाई	**13.**(1) अनधिकृत पार्किंग स्थलों और/अथवा पार्किंग रहित परिक्षेत्रों/सड़कों पर अनधिकृत और त्रुटिपूर्ण पार्किंग के विरूद्ध नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यान उठाने के प्रभार के साथ कार्रवाई अधिरोपित की जायेगी। पार्किंग रहित परिक्षेत्र/सड़कें जहां शास्ति शुल्क (चालान) और अनुकर्षण प्रभार लिया जाता है, को नगर निगम और यातायात पुलिस विभाग के मध्य चर्चा के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा। (2) नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण लाइसेंसधारी या प्रचालक अनधिकृत पार्किंग स्थलों और पार्किंग रहित परिक्षेत्रों/सड़कों से यान उठा या अनुकर्षित कर सकता है और नगर आयुक्त द्वारा समय-समय पर हटाने/उठाने के नियत प्रभार को वसूल सकता है। (3) उपनियम (1) के अधीन यान उठाने का प्रभार नगर आयुक्त द्वारा नियत किया जायेगा, जो निगम और प्रचालक के मध्य नगर निगम द्वारा विनिश्चित अनुपात में बांटा जायेगा। अनुकर्षण कार्य अधिमानतः पार्किंग निविदा का अंश होगा। (4) अनुकर्षित यान नगर निगम द्वारा अभिहित पाटन (क्षेपण) साइट पर रखा जायेगा। स्वामी के मोबाइल नम्बर/पार्किंग ऐप पर उसके यान को खींचे जाने की तस्वीर/वीडियो और पाटन साइट के अवस्थान के साथ एक संदेश भेजा जायेगा। पाटन साइट पर प्रवेश की अनुज्ञा केवल नगर निगम के कर्मचारी और उल्लंघनकर्ताओं को दी जायेगी। यानों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए साइट का प्रवेश और निकास क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी.सी.टी.वी.) युक्त रहेगा।
अपराधों की शास्ति और शमन	**14.**(1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन, ऐसे जुर्माने से जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) के उपबंधों के अनुसार पांच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा। (2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जायेगा। (3) अनधिकृत पार्किंग के लिए यान स्वामी से यातायात मानकों/विनियमो के अनुसार शास्ति शुल्क सहित अनुकर्षण प्रभार प्रभारित किया जायेगा। प्रभारित अनुकर्षण शुल्क नगर निगम और प्रचालक में निम्नलिखित अनुपात में बांटा जायेगा :-

नगर निगम	अनुकर्षण शुल्क का बाँटना	
	प्रचालक	नगर निगम
10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत
10 लाख से कम जनसंख्या वाले	30 प्रतिशत	70 प्रतिशत

(4) संविदा मूल्य का न्यूनतम आधा प्रतिशत (0.5 प्रतिशत) की दर से प्रति सप्ताह प्रति अवस्थिति देरी, जो कि संविदा मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा, के अनुसार परिनिर्धारित क्षति प्रचालक से उद्गृहीत की जा सकेगी, यदि पार्किंग स्थान में संविदा निष्पादन के दो माह के भीतर स्मार्ट समाधान विकसित और प्रारम्भ नहीं किया गया।

(5) संविदा मूल्य का दसवां प्रतिशत (0.1 प्रतिशत) की दर से प्रति सप्ताह प्रति अवस्थिति देरी, जो कि संविदा मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत वार्षिक होगा, के अनुसार परिनिर्धारित क्षति प्रचालक से उद्गृहीत की जायेगी, यदि पार्किंग स्थल पर खड़े किये गये वाहनों की संख्या टिकट किये गये वाहनों से अधिक हैं।

(6) शास्ति उपबंध प्रचालक चयन के लिए प्रकाशित प्रस्ताव/निविदा अभिलेख में उपलब्ध कराये जायेंगे।

प्रकीर्ण

15.(1) अपरिहार्य घटना की स्थिति में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी0डी0एम0ए0) को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) के उपबंधों के अनुसार शक्तियां होंगी।

(2) लाइसेंस करार के किसी भी निबंधन और शर्तों को पूर्ण करने या पालन करने के लिए किसी भी पक्षकार द्वारा कोई विफलता या लोप प्रश्नगत पक्षकार के विरूद्ध किसी भी दावे को उत्पन्न नहीं होने देगी या इस करार का भंग होना नहीं माना जायेगा, यदि ऐसी विफलता या लोप किसी भी ऐसे कारण से उत्पन्न होती है जो उस पक्षकार के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे है और जिसमें असीमित युद्ध, युद्ध जैसा प्रचालन, विप्लव, दंगा, आग, विस्फोट, दुर्घटना, शासकीय कृत्य, सामग्री नियंत्रण विनियम या आदेश, दैवकृत, लोक शत्रु के कृत्य, महामारी और संगरोध प्रतिबन्ध आदि सम्मिलित हों, परन्तु यह कि गैर-निष्पादित पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को उन दायित्वों, जो वह प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होगा, की त्वरित लिखित नोटिस प्रदान की हो, और ऐसी किसी भी अपरिहार्य स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए समस्त युक्तियुक्त प्रबन्ध किया हो।

(3) यदि कोई अपरिहार्य घटना, जो ठेकेदार को इस करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकती है, और तीस (30) दिनों के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो नगर निगम इस करार को लिखित नोटिस द्वारा समाप्त करने का हकदार होगा।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग।